संख्या ..../ अन्तर्गत धारा..

क	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
	पेश होने पर पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम हो	
14/12/22	आज यह पत्रावली स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे स्टाम्प ड्यूटी पेश हो चुकी है। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 159/2022

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. अमरीक सिंह पुत्र हरीराम उर्फ हरी सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 2. प्रेम सिंह पुत्र हरीराम उर्फ हरी सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।	1. अनिता कौर उर्फ गुरदेव कौर पत्नी बलदेव सिंह जाति सैनीसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 2. गुरजीत सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर 3. गुरनेब सिंह उर्फ गुरनायब सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 4. गुरप्रीत सिह पुत्र मक्खन सिंह जाति सैनी सिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर 5. जसवीर कौर पुत्री दर्शन सिह जाति सैनीसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर 6. बलदेव सिंह पुत्र रामनाथ जाति सैनीसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर 7. मक्खन सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति सैनीसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर 8. मनमोहन सिंह पुत्र मक्खन सिंह जाति सैनीसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर 9. स्वर्ण कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति सैनीसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर 10. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 91, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 01.08.2022

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण

--निर्णय-- **दिनांकः 13.12.2022**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 32 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नग्गी तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के अनुसार खाता संख्या [illegible] मुरब्बा नं0 33/1 में कुल 12.650 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला भू[illegible] अभिलेख में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व [illegible] है। उक्त वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 के नाम 2106/12650 हिस्सा यानि 2.106 [illegible] व वादी संख्या 2 के नाम 2106/12650 हिस्सा यानि 2.106 हैक्टर दर्ज है। पक्षकारान के मध्य आज से करीबन 20 वर्ष पूर्व पारिवारिक सम्पति विभाजन हो चुका था, [illegible] के अनुसार प्रत्येक पक्षकार अपने अपने हिस्सा पर शांतिपूर्वक, निरंतर, निर्बाध रूप से काबिज चले आ रहे है। वादी संख्या 1 अमरीक सिह को पारिवारिक सम्पति विभाजन में चक 32 एच के मुरब्बा नं0 7 के किला नं0 7 के 0.253 हैक्टर, 8 के 0.253 हैक्टर, 9 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

0.253 हैक्टर, 10 के 0.253 हैक्टर, 11 के 0.253 हैक्टर, 12 के 0.253 हैक्टर, 13 के 0.253 हैक्टर, 14 के 0.253 हैक्टर, 20 के 0.013 हैक्टर, 21 के 0.014 हैक्टर, 25 के 0.052 हैक्टर कुल 2.104 हैक्टर एवं मुरब्बा नं0 33/1 में 0.005 हैक्टर गैर मुमकिन खाला कुल रकबा **2.109 हैक्टर** नहरी मय गैर मुमकिन खाला भूमि प्राप्त हुई है। वादी संख्या 2 प्रेम सिंह को मुरब्बा नं0 7 के किला नं0 17 के 0.253 हैक्टर, 18 के 0.253 हैक्टर, 19 के 0.253 हैक्टर, 20 के 0.240 हैक्टर, 21 के 0.214 हैक्टर, 22 के 0.228 हैक्टर, 23 के 0.228 हैक्टर, 24 के 0.228 हैक्टर, 25 के 0.099 हैक्टर रकबा 1.996 हैक्टर नहरी व मुरब्बा नं0 33/1 के 0.113 हैक्टर गैर मुमकिन खाला कुल रकबा **2.109 हैक्टर** नहरी मय गैर मुमकिन खाला भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार व गांव के सदस्य है, जिन्होने अपने-अपने नाम की भूमि का आपसी सहमति व सुविधा अनुरूप मौखिक विभाजन कर लिया था, लेकिन राजस्व अभिलेख में भूमि विभाजन अनुरूप पक्षकारान के नाम अलग से दर्ज नहीं हुयी है। पक्षकारान अपने हिस्सा में आयी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज है, लेकिन राजस्व अभिलेख में संयुक्त भूमि दर्ज होने के कारण पक्षकारान को भारी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण ने आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण से कहा कि हम पारिवारिक सम्पति विभाजन के अनुसार सहमति से बंटवारा करवाकर, अपने-अपने हिस्सा में आई कृशि भूमि को किलावाईज राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण ने कहा कि पारिवारिक परेशानियों व व्यस्तता के चलते हम ऐसा करने में असमर्थ है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावे कि चक 32 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नग्गी तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के अनुसार खाता संख्या 4/4 के मुरब्बा नं0 7 के किला नं0 7 के 0.253 हैक्टर, 8 के 0.253 हैक्टर, 9 के 0.253 हैक्टर, 10 के 0.253 हैक्टर, 11 के 0.253 हैक्टर, 12 के 0.253 हैक्टर, 13 के 0.253 हैक्टर, 14 के 0.253 हैक्टर, 20 के 0.013 हैक्टर, 21 के 0.014 हैक्टर, 25 के 0.052 हैक्टर कुल 2.104 हैक्टर, एवं मुरब्बा नं0 33/1 में 0.005 हैक्टर गैर मुमकिन खाला कुल रकबा **2.109 हैक्टर** नहरी मय गैर मुमकिन खाला भूमि का वादी संख्या 1 को व चक 32 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नग्गी तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के अनुसार खाता संख्या 4/4 के मुरब्बा नं0 7 के किला नं0 17 के 0.253 हैक्टर, 18 के 0.253 हैक्टर, 19 के 0.253 हैक्टर, 20 के 0.240 हैक्टर, 21 के 0.214 हैक्टर, 22 के 0.228 हैक्टर, 23 के 0.228 हैक्टर, 24 के 0.228 हैक्टर, 25 के 0.099 हैक्टर रकबा 1.996 हैक्टर व मुरब्बा नं0 33/1 के 0.113 हैक्टर गैर मुमकिन खाला कुल रकबा **2.109 हैक्टर** नहरी मय गैर मुमकिन खाला पर का वादी संख्या 2 को अन्य सहखातेदारान से जोत विभाजन करवाया जाकर, उपरोक्त किलाजात वादी संख्या 1 के नाम से, अलग से खाता कायम कर व लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्री करणपुर को आदेशित किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को ज[illegible] सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण 4.218 हेक्टैयर भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 32 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 4/4 के मुरब्बा नम्बर 6, 7, 33/1 की कुल 12.650 हेक्टैयर भूमि में वादीगण के हिस्सा में 4.218 हेक्टैयर भूमि जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे तथा शेष खाता बदस्तूर रहे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वादीगण अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः माफिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 32 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 4/4 के मुरब्बा नम्बर 6, 7, 33/1 की कुल 12.650 हेक्टैयर भूमि में वादीगण के हिस्सा में 4.218 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	अमरीक सिंह पुत्र हरीराम उर्फ हरी सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर (2.109 है.)	32 एच	7	11 ता 14	1.012 हेक्टैयर	नहरी	8.40
				20	0.013 हेक्टैयर	नहरी	0.11
				21	0.014 हेक्टैयर	नहरी	0.12
				25	0.052 हेक्टैयर	नहरी	0.43
			33/1		[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	प्रेम सिंह पुत्र हरीराम उर्फ हरी सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।(2.109 है.)	32 एच	7	17 ता 19	0.759 हेक्टैयर	[illegible]	[illegible]
				20	0.240 हेक्टैयर	नहरी	[illegible]
				21	0.214 हेक्टैयर	[illegible]	1.78
				22	[illegible]	[illegible]	1.89
				23	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				24	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				25	0.099 हेक्टैयर	नहरी	0.82
			33/1		0.113 हेक्टैयर	गै.मु.खा	0.0

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:07 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

अमरीक सिंह आदि बनाम अनिता कौर आदि

धारा अन्तर्गत **53, 88, 91, 188 आरटीए** मुकदमा नं. **159/2022**

निर्णय दिनांक :- 13.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि माफिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 32 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 4/4 के मुरब्बा नम्बर 6, 7, 33/1 की कुल 12.650 हेक्टैयर भूमि में वादीगण के हिस्सा में 4.218 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	अमरीक सिंह पुत्र हरीराम उर्फ हरी सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर (2.109 है.)	32 एच	7	11 ता 14	1.012 हेक्टैयर	नहरी	8.40
				20	0.013 हेक्टैयर	नहरी	0.11
				21	0.014 हेक्टैयर	नहरी	0.12
				25	0.052 हेक्टैयर	नहरी	0.43
			33/1		0.005 हेक्टैयर	गै.मु.खा	0.00
2	प्रेम सिंह पुत्र हरीराम उर्फ हरी सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।(2.109 है.)	32 एच	7	17 ता 19	0.759 हेक्टैयर	नहरी	6.30
				20	0.240 हेक्टैयर	नहरी	1.99
				21	0.214 हेक्टैयर	नहरी	1.78
				22	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				23	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				24	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				25	0.099 हेक्टैयर	नहरी	0.82
			33/1		0.113 हेक्टैयर	गै.मु.खा	0.0

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 14.12.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	
स्टाम्प ड्यूटी	1000	00	मेहनताना वकील	00	
योग	1004	00	योग	00	

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:07 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

दिनांक: 14.12.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/619

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्व)
श्री करणपुर